न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 62/2019

अनवान : –

1. कनीराम पुत्र शेराराम जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।
2. चुनीराम पुत्र शेराराम जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।
3. मनीराम पुत्र बलराम जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।
4. सतवीर पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. सन्तोष पत्नी रामसिंह जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री रामसिंह जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।
3. भजनलाल पुत्र रामसिंह जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।
4. सुरेन्द्र पुत्र रामसिंह जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।
5. हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा गोगामेड़ी तहसील नेाहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता **सायल**
2.श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 05/02/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 14 डीपीएन तहसील नोहर के प0न0 394/437 (27) के किला न0 1/2 की 0.2530 हैक्ट, 2/2 की 0.2530 हैक्ट, 3/2 की 0.2530 हैक्ट, 4/2 की 0.2530 हैक्ट, 5/2 की 0.2530 हैक्ट, 6/2 की 0.2530 हैक्ट, 7 ता 14 की 2.0240 हैक्ट, 15/2 की 0.2530 हैक्ट, 16/2 की 0.2530 हैक्ट, 17 ता 24 की 2.0240 हैक्ट, 25/2 की 0.2530 हैक्ट, प0न0 395/437 (28) कि0न0 1 ता 4 की 1.0120 हैक्ट, 7 ता 14 की 2.0240 हैक्ट, 17 ता 24 की 2.0240 हैक्ट, प0न0 394/438 (38) कि0न0 1/2 की 0.2530 हैक्ट, 2/2 की 0.2530 हैक्ट, 3/2 की 0.2530 हैक्ट, 4/2 की 0.2530 हैक्ट, 5/2 की 0.2530 हैक्ट कुल 12.6500 हैक्ट भूमि मोटा, लिखमा, आदराम पिसरान भगवाना जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर की भूमि थी। मोटा पुत्र भगवाना जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर से सायलान न0 1 व 2 व बलराम, सुरजाराम पिसरान शेराराम जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर ने जरिये बैयनामा दिनांक 18.04.1974 को 4 बीघा भूमि खरीद की थी जो खरीद के समय से ही लेकर आज तक लागातार कब्जा काश्त में चली आ रही है।

सायलान न0 1 ता 2 व बलराम, सुरजाराम पिसरान शेराराम जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर ने जरिये बैयनामा दिनांक 18.04.1974 को 4 बीघा भूमि खरीद की थी लेकिन बैयनामा गैरखातेदारी भूमि होने के कारण धारा 42 ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत शमन राशि जमा करवा कर बैयनामा दिनांक 18.04.1974 का दिनांक 08.02.1993 को नियमन करवा कर बैयनामा दिनांक 18.04.1974 को दिनांक 08.02.1993 को नियमन करवा लिया था एवं नियमन आदेश में अंकन किया गया है खातेदारी सनद जारी होने पर ही बैयनामा का अमल दरामद होगा। उक्त भूमि की खातेदारी सनद दिनांक 06.01.81 को जारी की गई थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:19:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इसलिए मुताबिक बैयनामा दिनांक 18.04.1974 के आधार पर सायलान स0 1 ता 2 व बलराम, सुरजाराम पिसरान शेराराम जाति जाट खातेदार काश्तकार हो चुके है। मोटा पुत्र लिखमा लावल्द फौत हो चुका है एवं विवादित भूमि में से उसके हक व हिस्सा की 333–1/2 हिस्सा भूमि मुताबिक वसीयत रामसिंह पुत्र आदराम को प्राप्त हो गई व इन्तकाल न0 119 दिनांक 11.09.1990 दर्ज हो गया। रामसिंह पुत्र आदराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान गैरसायल स0 1 ता 4 है। उक्त वाद भूमि में सायलान न0 1 ता 2 बहिब 40 हिस्सा व सायलान न0 3 व दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 बहिब 20 हिस्सा व सायल न0 4 व दावा में प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 बहिब 20 हिस्सा गैरसायल स0 1 ता 4 बहिब 253–1/2 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है।

मोटा पुत्र लिखमा से जरिये बैयनामा दिनांक 18.04.1.74 को सायलान न0 1, 2 व बलराम, सुरजाराम पिसरान शेराराम ने 4 बीघा भूमि खरीद की थी लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण सायलान एव दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। इसलिए सायलान मुताबिक बैयनामा उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। उक्त भूमि गैरसायलान के नाम गलत दर्ज होने से गैरसायलान उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी । इसलिए इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे की गैरसायलान उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 14 डीपीएन तहसील नोहर के प0न0 394/437 (27) के किला न0 1/2 की 0.2530 हैक्ट, 2/2 की 0.2530 हैक्ट, 3/2 की 0.2530 हैक्ट, 4/2 की 0.2530 हैक्ट, 5/2 की 0.2530 हैक्ट, 6/2 की 0.2530 हैक्ट, 7 ता 14 की 2.0240 हैक्ट, 15/2 की 0.2530 हैक्ट, 16/2 की 0.2530 हैक्ट, 17 ता 24 की 2.0240 हैक्ट, 25/2 की 0.2530 हैक्ट, प0न0 395/437 (28) कि0न0 1 ता 4 की 1.0120 हैक्ट, 7 ता 14 की 2.0240 हैक्ट, 17 ता 24 की 2.0240 हैक्ट, प0न0 394/438 (38) कि0न0 1/2 की 0.2530 हैक्ट, 2/2 की 0.2530 हैक्ट, 3/2 की 0.2530 हैक्ट, 4/2 की 0.2530 हैक्ट, 5/2 की 0.2530 हैक्ट कुल 12.6500 हैक्ट भूमि में से 333–1/2 हिस्सा भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि के अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि का जो बैयनामा किया गया है वह बैयनामा गैरखातेदारी भूमि का किया गया है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय [illegible] होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल [illegible]

प्रार्थीगण का कथन है कि जरिये [illegible] दिनांक 18.04.1974 को 4 बीघा भूमि खरीद की थी लेकिन बैयनामा गैरखातेदारी भूमि होने के कारण धारा 13 ए राजस्थान उपनिवेशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:19:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिनियम 1954 के तहत शमन राशि जमा करवा कर बैयनामा दिनांक 18.04.1974 का दिनांक 08.02.1993 को नियमन करवा कर बैयनामा दिनांक 18.04.1974 का दिनांक 08.02.1993 को नियमन करवा लिया था एवं नियमन आदेश में अंकन किया गया की खातेदारी सनद जारी होने पर ही बैयनामा का अमल दरामद होगा। उक्त भूमि की खातेदारी सनद दिनांक 06.01.81 को जारी की गई थी इसलिए मुताबिक बैयनामा दिनांक 18.04.1974 के आधार पर सायलान स0 1 ता 2 व बलराम, सुरजाराम पिसरान शेराराम जाति जाट खातेदार काश्तकार हो चुके है जबकि अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि का जो बैयनामा किया गया है वह बैयनामा गैरखातेदारी भूमि का किया गया है जो की अनुचित तरीके से किया गया है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बैयानामा दिनांक 18.04.1975 के मुताबिक मुताबिक सायलान की उक्त भूमि खरीद की गई है एवं नियमन आदेश दिनांक 08.02.1993 अंकन किया गया की खातेदारी सनद जारी होने पर ही बैयनामा का अमल दरामद होगा लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त बैयनामा का अमल दरामद नही हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 में वाद पेश किया गया है। अतः उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष मे सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है न की अप्रार्थीगण के पक्ष में। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा चक 14 डीपीएन तहसील नोहर के प0न0 394/437 (27) के किला न0 1/2 की 0.2530 हैक्ट, 2/2 की 0.2530 हैक्ट, 3/2 की 0.2530 हैक्ट, 4/2 की 0.2530 हैक्ट, 5/2 की 0.2530 हैक्ट, 6/2 की 0.2530 हैक्ट, 7 ता 14 की 2.0240 हैक्ट, 15/2 की 0.2530 हैक्ट, 16/2 की 0.2530 हैक्ट, 17 ता 24 की 2.0240 हैक्ट, 25/2 की 0.2530 हैक्ट, प0न0 395/437 (28) कि0न0 1 ता 4 की 1.0120 हैक्ट, 7 ता 14 की 2.0240 हैक्ट, 17 ता 24 की 2.0240 हैक्ट, प0न0 394/438 (38) कि0न0 1/2 की 0.2530 हैक्ट, 2/2 की 0.2530 हैक्ट, 3/2 की 0.2530 हैक्ट, 4/2 की 0.2530 हैक्ट, 5/2 की 0.2530 हैक्ट कुल 12.6500 हैक्ट भूमि में से 333–1/2 हिस्सा भूमि की अप्रार्थी स0 1 न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 05/2/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:19:14 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर